

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 618 / विकास कार्य / नि0सू0 / 2024-25

दिनांक 26/11/2024

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों, जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 01 विकास कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 09.12.2024 को अपरान्ह 02.00 बजे तक uktenders.gov.in की वैबसाइट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09.12.2024 को अपरान्ह 03.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ.डी.आर./सी.डी. आर/एन.एस.सी. के रूप में होगी तथा अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेख के साथ उक्त वैबसाइट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 09.12.2024 को अपरान्ह 02.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ.डी.आर. व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र जी. पी.डब्ल्यू-09 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या 1197/II(2)/07-75(सामान्य)/ II दिनांक 24-02-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में) बिना जी0एस0टी0	धरोहर राशि (रु0)	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0 सहित (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता (दिवस)
1	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं0 80 रैस्टकैम्प में मेन रोड से गैलेक्सी होटल तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	9.75	29,500	1180	02 माह	90

अन्य नियम एवं शर्तें

निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
1. निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में एव No Dues के सम्बन्ध में (जी.एस.टी., आई.टी. व अन्य विभागों के सम्बन्ध में) रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रु0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

द्वारा

2.उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 770/iii(2)17-20(सामान्य) 2011 टी०सी० दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करनी होगी।

3.प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।

4. सम्बन्धित ठेकेदारों/फर्मों को अपनी दरें समस्त कर सहित देनी होंगी।

5.ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।



अधिशारी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1-सचिव, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

2-वित्त नियंत्रक, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

3-अधीक्षण अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

4-अधिशारी अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।


5-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।

6-नाजिर, म.दे.वि.प्रा. को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7-आई.टी. अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

9-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।


अधिशारी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।